# फुलेरा में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बांटे

**फुलेरा ।** कस्बे के निकटवर्ती ग्राम त्योद में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम शाला प्रधानाचार्या सीमा राठौड की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम शाला स्टाफ एवं प्राचार्या द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया।

तत्पश्चात आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रभारी शशि अरोड़ा द्वारा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों का उत्साह वर्धन किया गया तथा उन्हें भविष्य में भी आत्मविश्वास एवं साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाला प्रधानाचार्य सीमा राठौड ने कहा कि आत्मरक्षा हमारे जीवन के लिए सुरक्षा का प्रथम कवच है। उन्होंने कहा कि बदलते हुए वैश्वीकरण के इस दौर में प्रत्येक छात्रा को आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मरक्षा जैसी आवश्यक कौशल का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रशिक्षण न केवल उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी सुदृढ़ करता है। कार्यक्रम प्रभारी शशि अरोड़ा ने कहा कि आत्मरक्षा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।

ग्राम त्योद में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरण किए।

■ **आत्मरक्षा हमारे जीवन के लिए सुरक्षा का प्रथम कवच है।**

रानी लक्ष्मीबाई, माता जीजा बाई की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए उन्होंने आत्मरक्षा का महत्व बताया और कहा कि विद्यालय में ऐसे आयोजन में हिस्सा लेने से एक आत्मबल मिलता है, जो बेटियों को सशक्त बनाने के लिए अभिप्रेरित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास विकसित करना तथा उन्हें किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु सक्षम बनाना है। विद्यालय परिवार द्वारा सभी प्रशिक्षित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर श्वेता त्रिपाठी, राकेश बाबू, बजरंग लाल, मनोज कुमार, आशा देवी, सुधीर कुमार, मोहन लाल, किरण चौधरी, कंचन खींची, हंसा मीणा, अल्का कुमावत, भगीरथ चौधरी, खेमाराम सहित कई प्रबुद्धजन एवं स्कूली विद्यार्थी उपस्थित रहे।

# बच्चों को कॉपी पेन का वितरण

गांधी राजकीय विद्यालय बासड़ा में रामकृष्ण अग्रवाल की मौजूदगी में बच्चों को पेन कॉपी बांटी।

**किशनगढ़ बास।** गांधी राजकीय विद्यालय बासडा में अरस्तु शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अठावाल ने विद्यालय में पढ़ने वाले निर्धन गरीब बच्चों के लिए केपी पेन शेयर्स वितरण पेंशनर समाज के अध्यक्ष सुल्तान सिंह यादव की उपस्थिति हुई। विद्यालय के छात्र सूरत सिंह खैरिया ने बताया कि शुक्रवार को बासडा गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 110 छात्र-छात्राओं को कापी एवं पेन का वितरण किया गया। बच्चों के लिए यह सामठी अरस्तु संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अठावाल की ओर से विद्यालय में आयोजित की गई है। पेंशनर्स समाज के अध्यक्ष सुल्तान सिंह यादव और पूर्व बैंक मैनेजर साहूकार चौहान ने बच्चों को सामठी का वितरण किया और भामाशाह अरस्तु संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अठावाल को नियुक्त किया। फोरिया सूरत सिंह खैरिया ने बताया कि इस अवसर पर स्कूल में 11 हजार रुपये प्रति डॉलर की घोषणा की गई है। इसमें 1100 की राशि का सहयोग पूर्व बैंक के मैनेजर सोलो ने प्रस्ताव की घोषणा की।

# छात्राओं से छेड़छाड़, ग्रामीणों ने स्कूल के ताला जड़ा

**दौसा** (नि.स.) जिले के बसवा उपखंड में शिक्षक द्वारा स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है।मामला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है।जहां पर आठवीं कक्षा की छात्राओं से स्कूल के ही टीचर पर छेड़छाड़ करने की बात सामने आने के बाद गुस्साए ग्रमीण विद्यालय में पहुंच गए। जहां ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का घेराव करते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान शिक्षक पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड की शिकायत की।


**कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर**
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email:ID-dchmw.jmc@gmail.com, Phone No. 0141-2329953
क्रमांक-F51()Dept.Comm./H.M.A.Z./2025-26/547 दिनांक-9/7/25
**सार्वजनिक सूचना**
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हीरालाल मुलराजानी पुत्र श्री गोविन्द राम मुलराजानी व सुन्दरलाल मुलराजानी पुत्र श्री गोविन्दराम मुलराजानी निवासी कँवर नगर चांदी की टकसाल जयपुर द्वारा भूखण्ड/दुकान संख्या 106, त्रिपोलिया बाज़ार जयपुर का धारा 69-क का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। जिसका क्षेत्रफल 29.04 वर्गमीटर है, जिसमें आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, नक्शे की प्रति एवं अन्य स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। अत उक्त के संबंध में किसी व्यक्ति/सरकारी/गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। मियाद गुज़रने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त, हवामहल-आमेर जोन, नगर निगम हैरिटेज जयपुर



**इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिग्री के**
(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर-प्रथम
**शिवराम बनाम भौरिया**
डिग्री बाबत
मुकद्दमा नं. 6/25 सन्....
बनाम
मुसम्मी भौरिया वल्द नारायण कौम बैरवा साकिन ग्राम रूपाहेडी कलां तहसील चाकसू जिला जयपुर राज
चूंकि..........ने डिग्री अदालत..................
..........मवर्खे..........व मुकद्दमें नं. 6/25 सन् ........................ की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इतला दी जाती है कि आप इस अदालत में.........वार ..........तारीख 11/8/25 माह........को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजाजत किए जाने डिग्री रखते हो तो पेश करो आज व तारीख...माह 15/7/25 सन् व शब्द मेरे दस्तखत मुहर अदालत के जारी किया गया
मोहर अदालत
144 / 15.7.25
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर-प्रथम



संख्यांक 2
**विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन**
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सहायक कलेक्टर साहब जयपुर द्वितीय जयपुर
..... विरूद्ध ....
वाद बाबत दावा स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 24/25 सन् 2025
(1) सम्पतराम ढोली पुत्र श्री सूरजमल ढोली पता दुकान नं. 35, पटेल नगर 36 दुकान के पास, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) (2) मीणा वाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिये अध्यक्ष पता-सोड़ाला जयपुर (राज.)
वादी ने आपके विरुद्ध.... के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 31 माह 7 सन् 2025 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 07 माह 07 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञानुसार-रीडर
सहायक कलेक्टर, जयपुर शहर द्वितीय


# आयुर्वेद के विकास का संकल्प लिया

**फुलेरा ।** जयपुर में शुक्रवार को आयुर्वेद मार्तण्ड स्वामी लक्ष्मीराम जी का 86 वां निर्वाण दिवस समारोह मनाया गया। पीठाधीश्वर आचार्य डॉ. अनन्त शर्मा की अध्यक्षता में हुए मुख्य समारोह विद्वत्त समागम के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में भट्ट राजा, प्रदीप कुमार और श्री त्रिकाल संस्कार शक्ति पीठाश्रम के पीठाधीश्वर विजेन्द्र प्रकाश हलचल रहे। कार्यक्रम में आगन्तुक अतिथियों के द्वारा श्री लक्ष्मी राम जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

तत्पश्चात आयुर्वेद, आध्यात्म एवं संस्कृत के विद्वानों द्वारा विद्वत्त चर्चा का आयोजन हुआ। इस दौरान राजकुमार शर्मा, मुकेश शर्मा, पं. रमेश ओझा, डॉ. प्रवीण तंवर, राकेश कुमार सहित विभिन्न वक्ताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। वहीं वक्ताओं ने स्वामी लक्ष्मी राम जी के व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके द्वारा आयुर्वेद और संस्कृति के क्षेत्र में संस्थापित संस्थाओं और योगदान को बेमिसाल एवं अनुकरणीय बताया। इसी क्रम कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ज्योति खण्डेलवाल ने स्वामी लक्ष्मीराम जी को जयपुर का प्रमुख युग पुरुष बताते हुए कहा कि उनके द्वारा स्थापित परम्पराएं जयपुर की विरासत है, जिसे जीवन्त रखे जाने की जरुरत है।

आयुर्वेद मार्तण्ड स्वामी लक्ष्मीराम जी का 86 वां निर्वाण दिवस समारोह मनाया।

डॉ. अनन्त शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि स्वामी लक्ष्मी राम पीठ की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर अधिक बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विशेष कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे। उन्होंने स्वामी लक्ष्मी राम जी की शिष्य परम्परा से जुडे सभी वैद्यों एवं संतों का आ ान किया कि वे मिलकर स्वामी जी महाराज के बताए आदर्शों पर चलने के लिए समाज को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवन शैली में बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता और भी अधिक जरूरी हो गई है। इस अवसर पर अनेक लोग उपस्थित रहे।

# न्यायिक कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

**टोंक।** राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशन में विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहे, इस दौरान न्याय क्षेत्र के सभी कर्मचारियों ने इस आंदोलन में भाग लिया तथा न्यायालय परिसर में आमसभा की गई। इसके बाद रैली निकाली कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया।

न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक रतीरम चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना 25 मई 2022 और 4 अक्टूबर 2022 के अनुसार किया जाए। साथ ही जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 में संशोधन कर 6 मई 2023 को राज्य सरकार को आदेश पारित करने के लिए भेजा गया। दो वर्ष बीतने के बाद भी सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया।


**राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर**
क्रमांक-5442 दिनांक-10.07.2025
**जाहिर आम-सूचना** राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 61/127 (MIG-A), (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती सुनीता खण्डवानी पत्नी श्री रामचन्द खण्डवानी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1453 दिनांक 30.06.2006 को जारी किया गया। श्रीमती सुनीता खण्डवानी द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश लालवानी पुत्र श्री वासुदेव लालवानी को दिनांक 03.06.2005 को मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री चन्द्र प्रकाश लालवानी के द्वारा मुख्यारनामा आम की हैसियत से श्रीमती सुनीता खण्डवानी के पक्ष में पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां दिनांक 29.12.2006 को पंजीकृत करवाये गये। श्री चन्द्र प्रकाश लालवानी द्वारा मुख्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 29.12.2006 के द्वारा श्री शिवशरण नाथ त्रिपाठी पुत्र श्री ओकार नाथ त्रिपाठी एवं श्रीमती कुसुम त्रिपाठी पत्नी श्री शिवशरण नाथ त्रिपाठी को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री शिवशरण नाथ त्रिपाठी एवं श्रीमती कुसुम त्रिपाठी के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 5336 दिनांक 14.12.2018 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री शिव चरण शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 23.12.2024 के द्वारा श्रीमती अर्चना चाहर पत्नी श्री राकेश कुमार चाहर के विक्रय कर उप पंजीयक-अष्टम मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती अर्चना चाहर पत्नी श्री राकेश कुमार चाहर द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती अर्चना चाहर पत्नी श्री राकेश कुमार चाहर का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर



**आम सूचना**
डॉ. वी.के. अग्रवाल (विष्णु कुमार अग्रवाल) पुत्र स्व० श्री टी०के० अग्रवाल निवासी फ्लैट नं० बी-101, ARG Society, Alwar के द्वारा दिनांक 23.11.2021 को Sunrise University, Alwar की Governing Body के Chairperson के पद से इस्तीफा दे दिया गया था और इसकी सूचना पत्र दिनांक 08.12.2021 के द्वारा राजस्थान सरकार के Higher Education Department (Group-IV) को दिनांक 20.12.2021 को receiving के साथ दे दी गई थी।
Sunrise University, Alwar के पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा Sunrise University का complete students से संबंधित और Ph.D. से संबंधित records, TR इत्यादि Sunrise University की नई कार्यकारिणी को सौंप दिया था और रिकॉर्ड सुपुर्द करने की receiving नई कार्यकारिणी के स्टाफ से दिनांक 05.10.2021 को ले ली गई थी।
हस्ताक्षर – डॉ. वी.के. अग्रवाल, पूर्व चेयरपर्सन, सनराईज यूनिवर्सिटी, अलवर



**कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर**
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email:ID-dchmw.jmc@gmail.com, Phone No. 0141-2329953
क्रमांक-F51()Dept.Comm./H.M.A.Z./2025-26/583 दिनांक-17/7/25
**सार्वजनिक सूचना**
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार मुलराजानी पुत्र श्री गोविन्द राम मुलराजानी निवासी 158-बी, कँवर नगर चौकड़ी, सरहद जयपुर जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गगज का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। जिसमें आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र, नक्शे की प्रति, आवेदन पत्र एवं अन्य स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। अत उक्त के संबंध में किसी व्यक्ति/सरकारी/गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त, हवामहल-आमेर जोन, नगर निगम हैरिटेज जयपुर



**सार्वजनिक विज्ञप्ति** जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक- जविप्रा/उपा/जोन-11 / 2025 / डी- 105 दिनांक:- 18-07-2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार मैसर्स गुरुकृपा लैण्ड डवलपर जरिये पार्टनर श्री बाबूलाल जाट,रामेश्वर, शंकरलाल पुत्रान श्री पोखरमल जाट व रामफूल, प्रभुनारायण पुत्रान श्री भंवरलाल चौधरी पता - 203, गिरीराज टावर, गिरीज नगर, इस्कान रोड, मानसरोवर जयपुर द्वारा ग्राम बालावाला तहसील सांगानेर के खसरा 275, 276, 277, 278 कुल किता 04 रकबा 1.38 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना 'शिवम रेजीडेन्सी ब्लॉक-ए' प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।ग्राम बालावाला तहसील सांगानेर के खसरा 275, 276, 277, 278 कुल किता 04 रकबा 1.38 हैक्ट भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 - क के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ आदेश दिनांक 16.09.2023 को पारित किया गया था। उक्त भूमि पर निजी खातेदारी की आवासीय योजना 'शिवम रेजीडेन्सी ब्लॉक-ए का अनुमोदन किये जाने का निर्णय जविप्रा की बीपीसी एलपी समिति की 342वीं बैठक दिनांक 26.9.2023 में लिया गया। उक्त योजना से लगते हुए सड़क जो कि डिग्गी रोड से हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला को जोडती है एवं उक्त सडक घुमावदार है। इस सडक का मार्गाधिकार पूर्व में निर्धारित नहीं है। समिति द्वारा उक्त सड़क का मार्गाधिकार 18 मीटर रखे जाने व मार्गाधिकार निर्धारण हेतु नविधि की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 में वर्णित प्रक्रिया अपनाते हुए योजना का मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया है ।प्रकरण में जविप्रा की जयपुर की बीपीसी एलपी समिति की 382वीं बैठक दिनांक 21.01.2025 में आवासीय योजना शिवम रजीडेन्सी ब्लॉक-ए के उत्तरी भाग में स्थित खसरा नम्बर 194 गैर मुमकिन रास्ते के मध्य से दोनों ओर 9-9 मीटर भूमि सडक हेतु समर्पित करवाते हुये सडक का (डिग्गी रोड से हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला) का मार्गाधिकार 18 मीटर कायम करने हेतु विद्यमान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त की अनुपालना में प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 18 मीटर (गैर मुमकिन रास्ते के मध्य से दोनों ओर 9-9 मीटर) निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है ।यदि उक्त प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 10 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय जोन-11 में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर आगामी कार्यवाही अमल लाई जावेगी । यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18/7/25 को जारी की गयी।
उपायुक्त जोन-11 जविप्रा, जयपुर।



**राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर**
क्रमांक:5614 जाहिर आम-सूचना दिनांक:17.07.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना सेक्टर-18 के भूखण्ड संख्या-1 (एरिया 1505.56 वर्गमीटर) एवं भूखण्ड संख्या-4 (एरिया 1172.72 वर्गमीटर,) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन राजयोग एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन जयपुर को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 10572 दिनांक 09.10.2023 को जारी किया गया। जिसका भौतिक कब्जा राजयोग एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन की क्षेत्र संचालिका ब्रह्म कुमारी सुषमा शर्मा को दिनांक 10.11.2023 को दिया गया। राजयोग एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन की क्षेत्र संचालिका ब्रह्म कुमारी सुषमा शर्मा द्वारा दिनांक 03.07.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सेक्टर-18 के भूखण्ड संख्या-1 (एरिया 1505.56 वर्गमीटर,) एवं भूखण्ड संख्या-4 (एरिया 1172.72 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर को आवंटित भूमि का पुनर्गठन कर एकल पट्टा जारी करने का निवेदन किया है। राजयोग एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन को आवंटित भूमि -18 के भूखण्ड संख्या-1 (एरिया 1505.56 वर्गमीटर) एवं भूखण्ड संख्या-4 (एरिया 1172.72 वर्गमीटर,) प्रताप नगर, सांगानेर का अभी तक पंजीयन नहीं करवाये गये है। अतः उक्त भूखण्डों के पुनर्गठन बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल के द्वारा उपरोक्त आवंटित भूखण्डों का पुनर्गठन कर संस्था को एकल पट्टा जारी कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर



**राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम,** प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक - 5441 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक - 10.07.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 76/67 (MIG-A). (एरिया 72.000 वर्गमीटर,) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री गिरीराज टांक पुत्र श्री घनश्याम टेलर को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 07.05.2013 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 10059 दिनांक 12.09.2013 को जारी किया गया। श्री गिरीराज टांक द्वारा श्री कमलेश गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल गुप्ता को दिनांक 19.08.2013 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री कमलेश गुप्ता के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से श्री गिरीराज टांक के पक्ष में पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां दिनाक 29.03.2014 को पंजीकृत करवाये गये। श्री कमलेश गुप्ता द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 18.07.2014 के द्वारा श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र स्व. श्री गोलीराम एवं श्री अमित बाबू सोनी पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-चतुर्थ, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र स्व. श्री गोलीराम एवं श्री अमित बाबू सोनी पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र स्व. श्री गोलीराम एवं श्री अमित बाबू सोनी पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम राज, आवा, मण्डल, जयपुर



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपु
क्रमांक:90A/JDA/2025-26/100132 दिनांक: 18.07.202
**लोक सूचना** एडवांस एग्रोलाईफ लिमिटेड जरिये निदेशक श्री ओम प्रका चौधरी पुत्र श्री हनुमान सहाय जाट पंजीकृत कार्यालय ई-39, रीको इण्डस्ट्रीय एरिया, बगरू विस्तार, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ने इस कार्याल में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग-मीटर) | क्षेत्रफल (हेक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दहमीखुर्द सांगानेर (जयपुर) | एडवांस एग्रोलाईफ लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय ई-39, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू विस्तार, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर | 900/713 | 1400 | 0.14 |
| | | | 691 | 500 | 0.05 |
| | | | 714 | 1600 | 0.16 |
| | | | 715 | 1300 | 0.13 |
| | | | 716 | 1400 | 0.14 |
| | | | | कुल | 0.62 |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किस व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्था अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी लॉग इन कर 90-A For Jaipur Development Authority (UDH) आईकॉन प जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी क आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18.07.2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपु



**विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन**
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय ....उपखण्ड
अधिकारी....स्थान....कि. रेनवाल...
...जवाहर.... विरूद्ध ...मालीराम वगै.....
वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 15/2025
नाम रामसुख पुत्र पुरा जाति जाट निवासी रेनवाल तहसील कि.रेनवाल, तहसीलदार कि.रेनवाल जिला जयपुर राज. विरूद्ध वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 25.07.2025 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 18 माह 07 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
न्यायाधीश किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर



**हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना**
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय सहायक कलेक्टर साहब जयपुर द्वितीय जयपुर
भंवर लाल व अन्य विरूद्ध सम्पत राम ढोली व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र TJ (अस्थाई निषेधाज्ञा)
वाद पत्र संख्या- 22सन् 2025
(1) सम्पतराम ढोली पुत्र श्री सूरजमल ढोली पता दुकान नं. 35, पटेल नगर 36 दुकान के पास, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) (2) मीणा वाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिये अध्यक्ष पता-सोड़ाला जयपुर (राज.)
उक्त अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 31 माह 07 सन् 2025 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो।
यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 07 माह 07 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
आज्ञानुसार-रीडर
सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय



**कार्यालय ग्राम पंचायत जटवाडा कला, पंचायत समिति स.मा., जिला सवाई माधोपुर**
क्रमांक-21 दिनांक-04.07.2025
**ई-निविदा सूचना संख्या 05/2025-26**
पंचायत समिति सवाई माधोपुर के अधीन ग्राम पंचायत जटवाडा कला में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यो हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जटवाडा कला, पं.स. सवाई माधोपुर
(श्रीमती फोदू गुर्जर) प्रशासक, ग्राम पंचायत जटवाडा कला



**कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू, जिला-जयपुर ग्रामीण (राज.)**
क्रमांक-न.पा.चा./2025/3179 दिनांक-18.07.2025
**आपत्ति आमंत्रण सूचना**
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका क्षेत्र में स्थित की निम्नानुसार पत्रावली/प्रार्थना पत्र मय साईट प्लान भू-उपयोग परिवर्तन हेतु विचाराधीन है-

| क्र.सं. | नाम | पिता/पति का नाम | पता | एरिया | विषय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लादूराम शर्मा | ओंकार लाल शर्मा | भूखण्ड संख्या 14,डाक बंगला स्कीम, वार्ड नं. 19 टोंक रोड, चाकसू, जयपुर | 282.66 वर्गगज | आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन |

उक्त भूखण्ड के आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपोग परिवर्तन के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति है तो यह आपत्ति को लिखित में इस सूचना प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के अंदर-2 इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति अंगीकार नहीं की जावेगी एवं तदानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। उक्त सूचना आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुहर द्वारा प्रसारित किया गया।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चाकसू



**कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर**
राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, कोटा
email : nnkota@gmail.com, websites : www.kotamc.org, Ph.: 0744-501903
क्रमांक: ननिको(उ)/निर्माण/2025/4258-71 दिनांक: 17.07.2025
**-:निविदा संशोधन सूचना:-**
नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या 09/2025-26 निविदा क्रमांक 4078-91 दिनांक 04.07.2025 एवं निविदा संख्या 10/2025-26 निविदा क्रमांक 4188-4201 दिनांक 15.07.2025 में श्रीमान् आयुक्त महोदय कार्यालय आदेश क्रमांक 9214-28 दिनांक 16.07.2025 के अनुसार जारी निविदाओं में धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस/निविदा शुल्क ऑनलाईन एवं जरिये डी.डी. जमा करवाई जा सकती है।
शेष यथावत रहेगीं।
राज.संवाद/सी/25/6449
अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, कोटा-उत्तर


# चौरु राउमावि में हरियालो राजस्थान में 151 पौधे लगाए

**चौरु/उनियारा।** राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरू में हरिलालों राजस्थान एक पेड मां के नाम अभियान के तहत 151 पौधे लगाए गए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरू में प्रधानाचार्य अरुण कुमार जैन व वृक्षारोपण प्रभारी सुरेश चंद्र धाकड पंचायत शिक्षक के निर्देशन में स्थानीय विद्यालय में छात्रों व समस्त स्टाफ ने विद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान एक पेड मां के नाम अभियान के तहत 151 पौधे लगाए ,वृक्षारोपण कार्य में राजकीय विद्यालय के हनुमान प्रसाद अठावाल व्याख्याता,राकेश खटीक ,दीपक कुमार मीणा ,राम सहाय मीना , चिरंजी लाल मीणा, पूजा अठावाल ,गुड्डी तर्क, प्रेमराज मीना आदि अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य अरुण कुमार जैन ने कहा कि पेड पौधे धरती मां का श्रृंगार है। अधिक से अधिक पेड पौधे लगाए जाने चाहिए जिससे धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित बना रहता है। पेड पौधे की कमी के चलते हुए धरतीं कई तरह की परेशानियां आती है। पेड पौधे जीवन का आधार है।

■ **प्रधानाचार्य अरुण कुमार जैन व वृक्षारोपण प्रभारी सुरेश चंद्र धाकड़ पंचायत शिक्षक के निर्देशन पर लगाएं पोधै**

# दौसा में दो गुटों में झड़प

**दौसा ( नि.स। )** ।जिला मुख्यालय पर आए दिन सरेआम हो रही अपराधिक वारदातों के चलते जिले वासियों में भय व्याप्त है। वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है।बीते दिनों शहर के बीचों-बीच हुई दो गुटों की झड़प को आमजन भुला भी नहीं पाया, और शुक्रवार दोपहर को दो गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर नेशनल हाईवे 21 के बीच रोड पर लाठी-भाटा जंग हो गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

करीब 30 मिनट तक दोनों गुट एक दूसरे पर पथराव करते रहे। इस दौरान सूचना मिलने के बाद दौसा कोतवाली पुलिस सहित बडी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा।

लेकिन बेखौफ अपराधी पुलिस के सामने भी आपस में लड़ते नजर आए। वहीं पुलिस मूकदर्शक बनकर मामले को देखती रही।इस पूरे घटनाक्रम का पास ही मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया। जो अब खूब वायरल हो रहा है।

दोनों गुटों का भिड़ने का कारण जमीनी विवाद : दौसा डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामले में आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया जिनसे पूछताछ की जा रही है।बता दें कि, कोतवाली थाना इलाके से गुजर रहे नेशनल हाईवे 21 पर एक भूखंड के कब्जे को लेकर दो गुट हाईवे के बीचों-बीच आपने-सामने हो गए।

देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। जिससे हाईवे से गुजरने वाले वाहनों चालकों में अफरा-तफरी मच गई।इस दौरान एक पक्ष की ओर से महिलाओं ने भी पथराव और लाठियां चलाईं।

# बोर्ड परिक्षाओं में उत्कृष्ट अंक लाने वाली प्रतिभाएं सम्मानित

**कोटपूतली।** कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत पवाना अहीर के सेठ मूलचंद प्रभुदयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्र 2024-25 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 वीं व 12 वीं में उत्कृष्ठ अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को माल्यार्पण व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया।

प्रवक्ता रामकरण यादव ने बताया कि गत सत्र में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर निकिता यादव, नीतू यादव, तनु कंवर, आशीष तंवर, जीया यादव, अंकिता यादव, अंशु कुमारी आर्य, तमन्ना कंवर, शकिना यादव को माल्यार्पण व साफा पहनाकर सम्मानित करते हुये प्रोत्साहन रैली निकालकर उत्साहवर्धन किया गया। पूर्व प्राचार्य महेश चन्द यादव एवं कार्यवाहक प्राचार्य कृष्ण कुमार खजोतिया सहित समस्त विद्यालय परिवार द्वारा बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ प्राप्त कर अच्छे मुकाम हांसिल करने की तरफ अग्रसर रहने की बात कहते हुए बधाई दी गई।

स्कूल स्टाफ ने कोटपूतली में प्रतिभाओं को माला पहनाकर सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के मध्य नजर अपने हुनर व कौशल का प्रदर्शन करते हुये एक सभ्य व सुसंस्कृत नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना ना केवल हम सबका नैतिक दायित्व है, बल्कि अन्य बालक-बालिकाओं को भी प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने में मदद करते रहना चाहिये।

इस मौके पर वरिष्ठ व्याख्याता सुमन चौहान, व्याख्याता अजय कुमार छींपी, वरिष्ठ अध्यापक माया यादव, दाताराम यादव, सत्यवीर सिंह यादव, वरिष्ठ सहायक मधु यादव, शारीरिक शिक्षक शिवपाल सिंह यादव, विकास महरिया, राजेश कुमार मीणा, माडूराम यादव, रतिराम यादव समेत विद्यालय परिवार द्वारा बालक बालिकाओं को बधाई देते हुये प्रेरणात्मक प्रोत्साहन प्रदान किया गया।


**नाम परिवर्तन**
I hve changed my name Charan Singh Ailsinghani to Charan Singh for all future purposes. Address 73/261, Mansarovar, Jaipur.
I Banka Ram S/o Madan Lal R/o Chutraniyon Ki Dhani, Madpura Barwala, Madpura Barwala, Rajasthan-344035, have changed my name to Piyush Choudhary
I have changed my name from Sushila Shivran to Sushila Rana for all purpose. R/o Flat no. 210, block no. 1, Royal greens housing society Sirsi Road, Jaipur.

**नम्बर मिलाइए 9587884433**
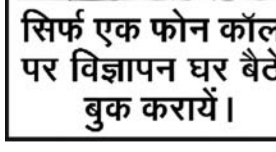
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

**खोया पाया**
मेरे आवास 36/73, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर की मूल रजिस्ट्री खो गई है कृपया मिलने पर सूचित करें अंजू सक्सेना 9461212787
मेरा मकान नं. एफ-380 लालकोठी स्कीम जयपुर के प्लॉट के आरिजिनल आवंटन पत्र एवं कब्जापत्र गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें-9166611110, 9351777025
मेरे भूखण्ड संख्या बी-93 केदार विहार योजना का मूल कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करें-लाखन सिंह मीणा फोन नंबर-9414150845
मेरे आवास संख्या 80/293, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें। मुकेश नारायन नाग मो. 8559874615
मेरे प्लाट संख्या 176, नशनोता, महला, अजमेर रोड, मानसरोवर, जयपुर का मूल पट्टा एवं रसीद संख्या 12871 कहीं खो गया है जा कि प्रेम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर द्वारा स्नेह लता सिंह के नाम से जारी है कृपया मिलने पर सूचित करें।
मेरा मकान नं.F-380 लालकोठी स्कीम जयपुर के प्लॉट के ओरिजिनल आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें 9166611110, 9351777025



**रौनक राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड**
**मुख्यालय-बांस्खों, ब्लॉक-बस्सी, जिला- जयपुर (राज.)**
क्रमांक: 24 खूली बोली/निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 09.07.2025
इस कार्यक्रम में संचालित MKSP परियोजना के तहत् समन्वित खेती कलस्टर (IFC) के अन्तर्गत आजीविका सेवा केन्द्र की स्थापना की जानी है जिसमें मशीनों/उपकरणों के क्रय हेतु अधिकृत रजिस्टर्ड फर्मो/अधिकृत विक्रेताओं/अधिकृत वितरकों से निर्धारित प्रपत्र में मुहर बंद खुली बोली/निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है ।

| क्र.स. | मशीनों/उपकरणों का नाम (Details Attached in Annexue E) | अनुमानित मशीनों की संख्या | अनुमानित लागत | बिड सिक्यूरिटी राशि | निविदा प्रपत्र शुल्क | निविदा फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक/समय बिड सिक्यूरिटी राशि | निविदा फार्म खोलने की दिनांक/समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musterd Seed Cleaning and Grading Processing Unit | 1 | 14.40 lacs | 28800/- | 500/- | 4 अगस्त 2025 को 2:00 P.M तक | 4 अगस्त 2025 को 2:15 P.M तक |
| 2 | Mustard Oil Processing unit | 1 | | | | | |
| 3 | Cattle Feed Unit | 1 | | | | | |

1. बिड दस्तावेज htpp:/sppp.raj.nic.in से दिनांक 4 अगस्त 2025 को दोपहर 2.00 PM बजे तक डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. बिड सिक्योरिटी अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत राशि 28800/- का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) RONAK RAJVIKA SARVAGEEN VIKAS SAHAKARI SAMITI LTD एवं निविदा फार्म शुल्क राशि 500/- रुपयें डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) RONAK RAJVIKA SARVAGEEN VIKAS SAHAKARI SAMITI LTD के नाम बनाकर दिनांक 04.08.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक रौनक राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, मुख्यालय - बांस्खों, ब्लॉक बस्सी, जिला जयपुर (राज.) में जमा करना होगा ।
3. बिड दिनांक 04.08.2025 को दोपहर 2.15 PM बजे रौनक राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, मुख्यालय -बांस्खों, ब्लॉक- बस्सी, जिला जयपुर (राज.) के कार्यालय में खोली जावेगी ।

UBN NO . - RGA2526GLO1300104
अध्यक्ष पूनम यादम | सचिव रोशन मीणा | कोषाध्यक्ष अनिता
रौनक राजीविका महिला सर्वागिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम- बांस्खों ब्लॉक बस्सी, जिला- जयपुर